न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/75/2024	2024/166	12.07.2024	13.01.2025

1. दौलत पुत्र रतन जाति जाट,
2. बीघाराम उर्फ पूरना पुत्र हुकम चन्द जाति जाट,
3. साहब सिंह पुत्र हुकमचन्द जाति जाट,
   निवासीयान ग्राम हुल्याना तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. देवेन्द्रसिंह पुत्र समन्दरसिंह जाति जाट,
2. भागेन्द्रसिंह पुत्र समन्दरसिंह जाति जाट,
3. राजेन्द्रसिंह पुत्र समन्दरसिंह जाति जाट,
   निवासीयान ग्राम हुल्याना तहसील कठूमर जिला अलवर हाल आबाद ग्राम गुन्डवा पोस्ट भंडौर तहसील व जिला भरतपुर राज0।

— अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना—पत्र मुंतकिल ::—

उपस्थितः—
01—श्री राज बहादुर —वकील प्रार्थीगण
02—श्री मूल चन्द चौधरी —वकील अप्रार्थीगण

—:निर्णय:—

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना—पत्र मुंतकिल प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के प्रकरण बउनवान देवेन्द्रसिंह वगै0 बनाम दौलत वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु निवेदन किया गया, जिसमें विगत तारीख पेशी 15.07.2024 नियत थी। प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से मुंतकिल प्रार्थना—पत्र के संबंध में बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में लिखित बहस पेश कर कथन किया गया कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी से मिलकर प्रार्थी के खिलाफ फैसला करने के लिए खुली अदालत में कई बार कह चुके हैं। प्रार्थी कठूमर तहसील के रहने वाले हैं। लक्ष्मणगढ़ एसडीओ की अदालत काफी दूर पर है। प्रार्थी व अप्रार्थी दोनों को ही कठूमर एसडीओ के यहां सुविधा भी रहेगी, दोनों पक्षकार कठूमर तहसील के रहने वाले है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर जब पीठासीन अधिकारी पर विश्वास न हो तो न्याय हित में अन्य अदालत में ट्रांसफर करना न्यायकारी होगा। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि वादी/अप्रार्थी संख्या 1 ला. 3 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मनगढ़ जिला अलवर के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बअनुवानी देवेन्द्रसिंह व अन्य वादीगण बनाम दौलत व अन्य प्रतिवादीगण बाबत आराजी खसरा नम्बर 123, 140, 561, 752, 780, 788, 792, 794, 133, 135, 799, 129, 130, 134, 503, 516, 504, 779, 793, 794, 795, 128, 141, 753, 754, 786, 787, 791, 798, 125 किा 30 रकबा 71 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम हुल्याना तहसील कठूमर जिला अलवर राज० पेश किया गया। उक्त वादी अप्रार्थीगण संख्या 1 ला. 3 प्रभावशाली व्यक्ति है जिन्होंने पीठासीन अधिकारी को अपने प्रभाव में लिया हुआ है तथा पीठासीन अधिकारी वादी अप्रार्थीगण संख्या 1 ला. 3 से साजबाज होकर निष्पक्ष कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। वादी अप्रार्थीगण संख्या 1 ला. 3 ने भी एलानिया तोर पर धमकी दी है कि पीठासीन अधिकारी उनके मिलने वाले तथा हमने उनसे बातचीत कर ली है और शीघ्र ही वो वाद स्वीकार करके रहेगें। उक्त वाद में पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा भी विशेष रूची रखते है और पत्रावली अपने पास रखते है तथा अप्रार्थीगण के कहे अनुसार कार्यवाही करते है। जिससे प्रार्थी को यह अंदेशा हो गया है कि पीठासीन अधिकारी महोदय उसके विरूद्व निर्णय पारित करेगें कि जिस

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

स्थिति में यह मुन्तकिली प्रार्थना–पत्र पेश किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त विवादित आराजी वाके ग्राम हुल्याना तहसील कठूमर जिला अलवर राज० में स्थित है। तथा मिन प्रार्थीगण भी ग्राम हुल्याना तहसील कठूमर के निवासी है। किन्तु उक्त वाद उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मनगढ की अदालत में विचाराधीन है। मिन प्रार्थीगण को कठूमर से पेशी पर लक्ष्मनगढ जाने में भारी परेशानी का सामना करना पडता है तथा भारी आर्थिक हानि भी वहन करनी पड रही है। इसलिए भी उक्त मुकदमा अन्य किसी दीगर अदालत में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मनगढ में विचाराधीन राजस्व वाद बअनुवानी देवेन्द्रसिंह व अन्य वादीगण बनाम दौलत व अन्य प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रकरण संख्या 1/176 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को किसी दीगर अदालत में मुन्तकिल किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने लिखित जवाब/बहस पेश करते हुए निवेदन किया कि उक्त प्रकरण सन् 1976 से चल रहा है। प्रार्थीगण की तरफ से से बार–बार हस्तान्तरण का प्रार्थना–पत्र लगाया जा रहा है। उक्त प्रकरण सन् 2018 से बहस में चल रहा है। पहले बहस में आया तो कठूमर उपखण्ड अधिकारी के खिलाफ ट्रांसफर प्रार्थना–पत्र दिया गया, तब कठूमर से लक्ष्मणगढ़ उपखण्ड अधिकारी को ट्रांसफर कर दिया। उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के खिलाफ जो ट्रांसफर प्रार्थना–पत्र लगाया था, वो 2023 में खारिज हो गया जो अधिकारी का ट्रांसफर होने के कारण खारिज हो गया। अब दूसरी बार लक्ष्मणगढ़ उपखण्ड अधिकारी के खिलाफ प्रकरण को लम्बा करने की वजह से ट्रांसफर प्रार्थना–पत्र लगा दिया है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मुन्तकिली मुकदमा मौजूदा सूरत में पोशनीय न होकर सव्यय खारिज किये जाने योग्य हैं, सव्यय खारिज फरमाया जावें। अतः वकील अप्रार्थीगण के वकील ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थना–पत्र मुन्तकिली मुकदमा प्रार्थी अप्रार्थीगण के खिलाफ खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन–मनन किया। उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मनगढ द्वारा अपने जवाब में टिप्पणी पेश कर अवगत कराया है कि प्रकरण उपखण्ड अधिकारी कठूमर के न्यायालय में पेश हुआ था जो बाद मुंतकिल इस न्यायालय में दर्ज हुआ, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है तथा प्रकारण में आगामी तारीख पेशी दि0 03.09.2024 नियत है। बिन्दु सं0 2 लगा0 4 अस्वीकार है, मनगढंत है। बिंदु 5 आंशिक स्वीकार है। पक्षकारान कठूमर उपखण्ड क्षेत्र के निवासी हैं तथा प्रकरण भी उपखण्ड अधिकारी कठूमर के क्षेत्राधिकार का है जो मुंतकिल होकर इस न्यायालय में दर्ज हुआ था। यदि प्रकरण को इस न्यायालय से किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। बिंदु सं0 6 लगा0 8 कानूनी हैं। उक्त प्रकरण को इस न्यायालय से किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है, तो कोई आपत्ति नहीं है। प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रार्थना–पत्र के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के शपथ–पत्र पेश नहीं किये गये हैं और ना ही प्रार्थना–पत्र के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर, अलवर
राजस्थान